भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग
लोकसभा
अतारांकित प्रश्न संख्याः 3135
उत्तर देने की तारीखः 15.03.2021

समग्र शिक्षा

†3135. श्री सुधीर गुप्ताः
श्री बिद्युत बरन महतोः
श्री कृष्णपालसिंह यादवः
श्री श्रीरंग आप्पा बारणेः
श्री चंद्र शेखर साहूः
श्री संजय सदाशिवराव मांडलिकः
श्री राजेन्द्र धेड्या गावितः

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या समग्र शिक्षा योजना राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को पहाड़ी क्षेत्रों कम और कम जनसंख्या वाले क्षेत्रों के ऐसे बच्चों जिन्हें आश्रय और देखभाल की आवश्यकता होती है, के लिए आवासीय विद्यालय और छात्रावास खोलने तथा चलाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश के विभिन्न भागों में अभी तक खोले गए और कार्यशील आवासीय विद्यालयों और छात्रावासों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(घ) समग्र शिक्षा के लिए अभी तक आवंटित, जारी और उपयोग किए गए बजट का ब्यौरा क्या है; (ड.) समग्र शिक्षा के अंतर्गत विभिन्न राज्यों को सहायता देने के लिए क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं; और

(च) देश में समग्र शिक्षा की शुरुआत के बाद से इससे लाभान्वित होने वाले बच्चों की राज्य-वार संख्या कितनी है?

उत्तर
शिक्षा मंत्री
(श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक')

(क) और (ख): जी, हाँ। समग्र शिक्षा योजना के तहत, सार्वभौमिक नामांकन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से नियमित स्कूलों के प्रावधान के अलावा, बिना वयस्क सुरक्षा वाले बच्चों, जिन्हें आश्रय और देखभाल की आवश्यकता है, तथा पहाड़ी इलाकों, छोटे और कम आबादी वाले क्षेत्रों में आवासीय स्कूल और छात्रावास खोलने और चलाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है । समग्र शिक्षा के तहत, वित्तपोषित आवासीय स्कूलों/छात्रावासों का नाम "नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय स्कूल/छात्रावास" रखा गया है।

(ग): देश के विभिन्न हिस्सों में अब तक स्थापित और संचालित आवासीय विद्यालयों और छात्रावासों का राज्य-वार विवरण अनुबंध में है।

(घ) से (च): सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए), राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए) और शिक्षक शिक्षा (टीई) की पूर्ववर्ती केंद्र प्रायोजित योजनाओं का विलय कर 2018-19 में समग्र शिक्षा की एकीकृत केंद्र प्रायोजित योजना शुरू की गई है। यह स्कूल शिक्षा क्षेत्र के लिए प्री-स्कूल से बारहवीं कक्षा तक एक व्यापक कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य स्कूल शिक्षा के सभी स्तरों पर समावेशी और समान गुणवत्ता वाली शिक्षा सुनिश्चित करना है। समग्र शिक्षा के लिए, 2020-21 में संशोधित अनुमान 27957.32 करोड़ रुपये और बजट अनुमान 2021-22 **में 31050.15 करोड़ रुपये है। समग्र शिक्षा के तहत, राज्यों और संघ शासित प्रदेशों द्वारा अपनी आवश्यकताओं और प्राथमिकता के आधार पर वार्षिक योजनाएँ तैयार की जाती हैं और यह उनके संबंधित वार्षिक कार्य योजना और बजट (एडब्ल्यूपी और बी) प्रस्तावों में परिलक्षित होता है। इसके बाद, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के परियोजना अनुमोदन बोर्ड (पीएबी) द्वारा राज्य / संघ राज्य क्षेत्रों के परामर्श से योजना के कार्यक्रम सम्बन्धी और वित्तीय मानकों, निधि की उपलब्धता और पहले अनुमोदित की गई पहलों के लिए राज्य की भौतिक और वित्तीय प्रगति के अनुसार इन योजनाओं का मूल्यांकन किया जाता है और इन्हें अनुमोदन/ आकलित किया जाता है। इसके अतिरिक्त निधियों को समग्र शिक्षा के वित्तीय प्रबंधन और अधिप्राप्ति (एफएमपी) मैन्युअल के अंतर्गत यथानिर्धारित लेखापरीक्षित लेखाओं, उपयोगिता प्रमाण पत्र, भौतिक और वित्तीय प्रगति तथा अन्य दस्तावेजों के प्रस्तुतीकरण के आधार पर जारी किया जाता है।योजना के मानदंडों के अनुसार, सरकारी / स्थानीय निकायों और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे समग्र शिक्षा से लाभान्वित होते हैं।**

****

अनुबंध

'समग्र शिक्षा' के संबंध में माननीय संसद सदस्य श्री सुधीर गुप्ता, श्री बिद्युत बरन महतो, श्री कृष्णपालसिंह यादव, श्री श्रीरंग आप्पा बारणे, श्री चंद्र शेखर साहू, श्री संजय सदाशिवराव मांडलिक और श्री राजेन्द्र धेड्या गावित द्वारा दिनांक 15.03.2021 के लिए पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3135 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

क्र.सं.	राज्य का नाम	संचालित (31.01.2021 तक)	
		आवासीय विद्यालय	छात्रावास
1	आंध्र प्रदेश	3	13
2	अरुणाचल प्रदेश	155	54
3	असम	3	1
4	बिहार	1	4
5	छत्तीसगढ	71	35
6	दिल्ली	0	3
7	हरियाणा	0	2
8	झारखंड	20	9
9	कर्नाटक	5	0
10	केरल	0	3
11	लद्दाख	0	29
12	मध्य प्रदेश	0	390
13	महाराष्ट्र	1	7
14	मणिपुर	16	7
15	मिजोरम	0	11
16	नगालैंड	0	10
17	ओडिशा	0	17
18	पंजाब	0	5
19	राजस्थान	7	13
20	सिक्किम	0	1
21	तमिलनाडु	12	1
22	तेलंगाना	31	7
23	त्रिपुरा	0	13
24	उत्तराखंड	0	6
25	पश्चिम बंगाल	0	26
कुल		**325**	**667**

स्रोतः मूल्यांकन रिपोर्ट, कार्यवृत्त, एडब्ल्यूपीएंडबी और प्रबंध

****